Australian Government
Department of Home Affairs

ऑस्ट्रेलिया से न्यू ज़ीलैंड की संगरोध-मुक्त यात्रा 18 अप्रैल 2021 को 21:59बजे एईएसटी से शुरू हो जाएगी। जो यात्री 14 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यू ज़ीलैंड में रहे हैं, वे **सभी यात्री** यात्रा अपवाद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता के बिना ऑस्ट्रेलिया और न्यू ज़ीलैंड के बीच संगरोध-मुक्त हवाई यात्रा कर सकते हैं।

इसमें वे यात्री भी शामिल हैं जिन्होंने ये सभी 14 दिन सुरक्षित यात्रा-क्षेत्र के देश में बिताए हैं, **या** जिन्होंने दोनों देशों के बीच यात्रा की है और अब वे 14 दिन की अवधि के अंदर वापिस आ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया या न्यू ज़ीलैंड में रहने वाले सभी लोग (जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं) प्रत्येक देश की स्वास्थ्य, आव्रजन और अन्य मानक सीमा निकासी आवश्यकताओं को पूरा करने पर संगरोध-मुक्त यात्रा का उपयोग कर सकते हैं।

सभी यात्रियों को अपने आगमन तथा अंतिम गंतव्य (डेस्टीनेशन) स्थल की व्यवस्थाओं की जाँच करनी चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में संगरोध आवश्यकताएँ लागू हो सकती हैं।

न्यू ज़ीलैंड की स्वास्थ्य और आव्रजन आवश्यकताएँ उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: न्यू ज़ीलैंड की संगरोध-मुक्त यात्रा की आवश्यकताएँ

और अधिक जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य विभाग का यह वेबपेज देखें: अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोनावायरस (COVID-19) संबंधी सलाह

ध्यान दें: ऑस्ट्रेलिया और न्यू ज़ीलैंड में COVID-19 की स्थिति में कोई भी बदलाव होने से बिना सूचना दिए संगरोध-मुक्त यात्रा व्यवस्थाएँ रोकी या निलंबित की जा सकती हैं। आप अपनी यात्रा योजनाओं में किसी भी व्यवधान के प्रबंधन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे/होंगी, जिसमें यह परिस्थिति भी शामिल है कि आपको ऑस्ट्रेलिया वापिस आने में देरी हो जाए।

न्यू ज़ीलैंड के बाहर उपस्थित न्यू ज़ीलैंड नागरिक

न्यू ज़ीलैंड के ऐसे नागरिकों के लिए संगरोध-मुक्त यात्रा उपलब्ध **नहीं है**, जो न्यू ज़ीलैंड के बाहर उपस्थित हैं या जो ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावित यात्रा से ठीक पहले 14 दिनों के लिए न्यू ज़ीलैंड में नहीं हैं

COVID-19 के प्रकोप स्थल

न्यू ज़ीलैंड के चिंताजनक स्थानों की सूची के लिए ऑस्ट्रेलिया यात्रा घोषणा पृष्ठ देखें। यदि आप निर्दिष्ट समय के दौरान इनमें से किसी भी स्थान पर उपस्थित रहे/रही हैं, तो आपको इसके बारे में अपनी खुद की ऑस्ट्रेलिया यात्रा घोषणा में बताना होगा।

न्यू ज़ीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की संगरोध-मुक्त यात्रा करना

ऑस्ट्रेलिया की यात्रा आरंभ करने से पूर्व आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया यात्रा घोषणा पूरी करनी चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया यात्रा घोषणा में ऑस्ट्रेलिया में आपके संपर्क के विवरण, उड़ान के विवरण, संगरोध-संबंधी आवश्यकताएँ और आपके स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है।

यह जानकारी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को आपके लिए संगरोध (क्वारंटाइन) की व्यवस्थाएँ (यदि आवश्यक हो) निर्धारित करने में सहायता देती है और यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा की है जिसकी COVID-19 जाँच का परिणाम सकारात्मक (पॉज़िटिव) निकलता है, तो संबंधित स्वास्थ्य विभागों को आपसे संपर्क करने की अनुमति भी देती है।

यदि आप **हवाई यात्रा** से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर रहे/रही हैं, और आप यात्रा करने से पहले 14 दिनों या इससे अधिक समय के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यू ज़ीलैंड में रहे/रही हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों से **अपवाद** के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतः अपवाद प्राप्त है।

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने पर आपको न्यू ज़ीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की संगरोध-मुक्त यात्रा करने के लिए न्यू ज़ीलैंड का/की नागरिक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए **वैध वीज़ा की आवश्यकता होगी**। न्यू ज़ीलैंड के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया आने से पहले वीज़ा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे पात्र होंगे, तो उन्हें आगमन पर विशेष श्रेणी वीज़ा (उपवर्ग 444) (एससीवी) [Special Category visa (subclass 444) (SCV)] प्रदान किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा करने से पहले आपको यात्रा अपवाद के लिए केवल तभी आवेदन करना होगा, यदि:

- आप अपनी नियोजित प्रस्थान तिथि से पहले 14 दिनों से कम समय के लिए ऑस्ट्रेलिया या न्यू ज़ीलैंड में रहे/रही हैं (इसमें न्यू ज़ीलैंड से पारगमन करने वाले यात्री भी शामिल हैं), या
- आपका उद्देश्य समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया आने का है।

ऑस्ट्रेलिया से न्यू ज़ीलैंड की संगरोध-मुक्त यात्रा करना

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने पर आपको ऑस्ट्रेलिया से न्यू ज़ीलैंड की संगरोध-मुक्त यात्रा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आपको न्यू ज़ीलैंड सरकार की स्वास्थ्य-संबंधी पूर्वस्थितियों को पूरा करना होगा और प्रवेश के लिए सभी मानक आव्रजन, सीमा शुल्क और जैव-सुरक्षा आवश्यकताएँ लागू होती हैं।

ऑस्ट्रेलिया से न्यू ज़ीलैंड की यात्रा: यात्रा अपवाद की आवश्यकताएँ

यदि आप सीधे न्यू ज़ीलैंड की यात्रा कर रहे/रही हैं और आप अपने प्रस्थान की तिथि से ठीक पहले 14 कैलेंडर दिनों के लिए केवल ऑस्ट्रेलिया या न्यू ज़ीलैंड में ही रहे/रही हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों से अपवाद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता **नहीं है***। आपको स्वतः अपवाद प्राप्त है।

*ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और स्थायी निवासियों **को** न्यू ज़ीलैंड की यात्रा करने से पहले ऑस्ट्रेलिया से बाहर यात्रा करने के लिए अपवाद का आवेदन करना आवश्यक होगा, यदि:

- आपने **न्यू ज़ीलैंड से बाहर किसी अन्य विदेशी गंतव्य (डेस्टीनेशन) के लिए** आगे की उड़ान की बुकिंग की है

न्यू ज़ीलैंड से किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्य (डेस्टीनेशन) की यात्रा करने वाले लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि यात्रियों की सँख्या पर वर्तमान प्रतिबंधों एवं उड़ानों की सीमित उपलब्धता के कारण ऑस्ट्रेलिया या न्यू ज़ीलैंड वापिस लौटना संभावित रूप से कठिन होगा।

जो लोग न्यू ज़ीलैंड से किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय गंतव्य (डेस्टीनेशन) की यात्रा करना चाहते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया वापस आना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

- ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करने से अधिकतम 72 घंटे पहले की गई COVID-19 जाँच का नकारात्मक परिणाम
- आगमन पर अपने खुद के खर्चे पर 14 दिनों के लिए अनिवार्य होटल संगरोध में प्रवेश, और
- अनिवार्य संगरोध में रहने के दौरान समय-समय पर जाँच।

इस समय विदेश यात्रा करने के ऊंचे खतरे बने हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया वापिस लौटने में संभावित व्यवधान तथा कई देशों में COVID-19 के कारण बाधाएँ भी शामिल हैं।

न्यू ज़ीलैंड जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन

ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने वाले यात्रियों को अपने आरंभिक प्रवेश के 72 घंटों के अंदर ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने वाली रेड ज़ोन उड़ान पर आगे का टिकट प्राप्त करने में सक्षम होना अनिवार्य है। **यदि कोई उपयुक्त कनेक्टिंग रेड ज़ोन उड़ान उपलब्ध नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करना संभव नहीं होगा।** ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने के बारे में और अधिक जानकारी ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करना वेबपेज पर देखी जा सकती है।

ऑस्ट्रेलिया में आगमन

ऑस्ट्रेलिया के हवाईअड्डों में ग्रीन (हरे) और रेड (लाल) ज़ोन बनाए गए हैं, ताकि 'संगरोध-मुक्त' उड़ानों से आने वाले यात्रियों को ऐसे यात्रियों से अलग करना सुनिश्चित किया जा सके. जिन्हें 14 दिनों के लिए अनिवार्य संगरोध में प्रवेश करने की आवश्यकता है।

यदि आप एक संगरोध-मुक्त उड़ान से आते/आती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आगमन के हवाईअड्डे पर सभी सीमा निकासी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपको ग्रीन ज़ोन से होकर जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

संगरोध-मुक्त उड़ानों पर आने वाले यात्रियों के लिए और अधिक जानकारी हेतु स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट देखें।